संख्या- 47 /2022/250/चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 08 मार्च, 2022

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत दिनांक 24 से 26 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश दिवस पर आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भुगतान के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4413/सं0नि0-15(74)/2021-22, दिनांक 22 फरवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी-चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत दिनांक 24 से 26 जनवरी, 2022 को आयोजित उ0प्र0 दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित मदो पर धनराशि रू0 50,10,313.00 (रू0 पचास लाख दस हजार तीन सौ तेरह मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 सं0	मद का विवरण	व्यय धनराशि
1.	कलाकारों के मानदेय पर व्यय	11,83,260.00
2.	जूपिटर हाल के किराये पर व्यय	8,29,640.00
3	प्रदर्शनी हेतु टेन्टेज एवं सजावट पर व्यय	29,97,413.00
योग (रू0 पचास लाख दस हजार तीन सौ तेरह मात्र)		**50,10,313.00**

3- उक्त स्वीकृत निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) समस्त कार्यों का सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 50,10,313.00 (रू0 पचास लाख दस हजार तीन सौ तेरह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी-चौरा शताब्दी-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा ।

5- निदेशालय के पत्र सं0-4413/सं0नि0-15(74)/2021-22, दिनांक 22 फरवरी, 2022 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अन्य मदों के संबंध में पुनः परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव शासन को 02 दिन में उपलब्ध कराया जायेगा ।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 47 /2022/250/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।